रानीतालाब

लोक सुनवाई का वृत।

श्री मधुरेन्द्र सिंह, पिता–श्री मेदी सिंह, ग्राम+पो0–एकबालगंज निसरपुरा, थाना–रानीतालाब कनपा, जिला–पटना द्वारा पटना क्लस्टर–12 (पटना सोन–15 बालू घाट), मौजा–बिरधौर, ग्राम–एकबालगंज निसरपुरा, अंचल–पालीगंज, जिला–पटना के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 29.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे पटना जिला के अंचल कार्यालय, पालीगंज, जिला–पटना में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2383/2023, dated 11.05.2023 के आलोक में श्री अमिताभ सिन्हा, अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना (जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 29.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, पालीगंज, जिला–पटना में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 29.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (690 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/ मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री अमित कुमार, ग्राम–एकबालगंज निसरपुरा, जिला–पटना।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना के द्वारा जो पेड़ लगाये जायेंगे, उसका रख–रखाव कौन करेगा। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना शुरू होते ही लगभग 690 पेड़ लगाये जायेंगे। इन पेड़ो की सुरझा एवं रख–रखाव परियोजना संचालक द्वारा किये जायेंगे। पेड़ हॉल रोड, गाँव के आस–पास इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे। पेड़ के रख–रखाव हेतु स्थानीय लोगों को ही माली के रूप में रखा जायेगा।
2.	श्री धर्मराज यादव, ग्राम–एकबालगंज निसरपुरा, जिला–पटना।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना दौरान परिवहन से बहुत धूल उड़ता है। पर्यावरणीय सलाहकार बताया गया कि सड़क पर पानी का छिड़काव दिन में 3 बार किया जायेगा। सड़क का मरम्मत भी समय–समय पर किया जायेगा। बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा।
3.	श्री रजनीश कुमार, ग्राम–एकबालगंज निसरपुरा, जिला–पटना।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान अगर खनन कितनी गहराई तक होगी। बालू परिवहन के दौरान धूल उड़ता है, इसका समुचित उपाय होना चाहिए। पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना के तहत् 03 मीटर से तक खनन की जायेगी। सड़क पर पानी का छिड़काव दिन में 3 बार किया जायेगा। सड़क का मरम्मत भी समय–समय पर किया जायेगा। बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा।
4.	श्री राधा कृष्ण कुमार, ग्राम–एकबालगंज निसरपुरा, जिला–पटना।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि पर्यावरण को देखते हुए खनन परियोजना में बिना तिरपाल के बालू से लदा गाड़ी का परिवहन नहीं होना चाहिए। गिला बालू का परिवहन नहीं होना चाहिए। अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5.	श्री पप्पु कुमार, ग्राम–एकबालगंज निसरपुरा, जिला–पटना।	इनके द्वारा बताया गया कि खनन के दौरान प्रायः 03 मी0 से अधिक गहराई तक खनन किया जाता है, जिससे दूर्घटना होती है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना 5 साल तक के लिए है। समय–समय पर खनन पदाधिकारियों द्वारा जाँच की जायेगी। अगर 03 मीटर से अधिक खनन होता है तो संवेदक पर कारवाई की जायेगी एवं जुर्माना भी लगाया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है एवं राज्य का विकास होता है। विकास के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

पौधों का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। स्थानीये लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में एवं प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

8-9-23

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

अपर जिला दण्डाधिकारी,
पटना

उपस्थिति सूचि

श्री मधुरेन्द्र सिंह, द्वारा पटना क्लस्टर संख्या–12 (पटना सोन–15) बालू घाट, मौजा–बिरधौर, ग्राम–एकबालगंज निसरपुरा, अंचल–पालीगंज, जिला–पटना में आयोजित लोक–सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

स्थान–अंचल कार्यालय, पालीगंज   दिनांक 29.08.2023   समय–11:00 A.M.

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अविनाश रिहा	अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना	[illegible] 29/8/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि०रा० प्र०नि० पर्षद, पटना	[illegible] 29-8-23
3.	Vikash Ku	B.S.P.C.B, Patna	Vikash Ku,
4.	[illegible]	एकबालगंज निसरपुरा पटना बिहार	[illegible]
5.	मधुरेन्द्र सिंह	एकबालगंज निसरपुरा पटना बिहार	मधुरेन्द्र सिंह
6.	सजन कुमार	एकबाल गंज निसरपुरा पटना (बिहार)	सजन कुमार
7.	Amit Kumar	Ekbalganj Nisharpura PAtna bihar	[illegible]
8.	Nitish kumar	P & M Solution, Noida (Env. Consultant)	Nitish Ku
9.	Rupesh Kum	एकबाल गंज निसरपुरा पटना बिहार	Rupesh
10	Ankit KUMAR	एकबाल गंज निसरपुरा पटना (बिहार)	Ankit Kr.
11	MUKesh Kumar	एकबालगंज निसरपुरा पटना, (बिहार)	Mukesh Kumar
12	Ritesh Kumar	एकबाल गंज निसरपुरा पटना (बिहार)	Ritesh Kumar
13	RAJNISH-KUMAR	एकबाल गंज निसरपुरा पटना (बिहार	Rajnish kumar
14	Manish kumar	Ekbal Ganj (Nisharpura, Patna, Bihar	Manish kumar
15	PRABHAT Kumar	सिकरिया पालीगंज पटना	Prabhat Kumar

मोहन पासवान	एकबालगंज निसरपुरा	Bhadb
धर्मराज यादव	एकबालगंज निसरपुरा	Dharm
राजन कुमार	एकबालगंज निसरपुरा	Rajan
सुनील कुमार	एकबालगंज (निसरपुरा)	Sunil Kumar
Sooraj kumar	एकबालगंज निसरपुर	Rajan
संजय कुमार	एकबालगंज निसरपुरा	Sanjay
Prakash yadav	एकबालगंज निसरपुरा	Prakash yadav
रजनीश कुमार	एकबालगंज निसरपुरा	Rajnish Kumar
Yogendra Kumar	एकबालगंज निसरपुरा	Yogendra Kumar
Uday Kumar	एकबालगंज निसरपुरा	Uday Kumar
Ramjeet Kr	एकबालगंज निसरपुर	Ramjeet Kr
Navdeep Kr	P.S बालगंज निसरपुर	Navdeep Kr
सतीश कुमार	एकबालगंज निसरपुर	सतीश कुमार
कामेश्वर नाथ	निसरपुरा	कामेश्वर नाथ
धनंजय कुमार	निसरपुरा	Dhananjay Kr
संजय कुमार	एकबालगंज निसरपुर	SK
Sarwesh Kr Sambhav	Mineral Development Officer, Patna	29/08/2023
Syed Farheen	Mines Inspector, Patna	Farheen 29/08/23